बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्याः–वन्यप्राणी–01 / 2024.............. / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...............

1. दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए कैमूर आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित 600.72 हे० वन भूमि के एवज में रोहतास वन प्रमंडल अंतर्गत 1201.76851 हे० गैर आश्रयणी वन भूमि को विभागीय अधिसूचना संख्या–10 / 09–1006 दिनांक–20.04.2010 (बिहार गजट संख्या–328 दिनांक–18.05.2010) द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–18(1) के तहत आश्रयणी घोषित किया गया है।
2. राज्य में सीमेंट उद्योग के लिए खनिज (लाईम स्टोन) भण्डार उपलब्ध कराये जाने के लिए 2225.02 हे० वन क्षेत्र को विभागीय अधिसूचना संख्या–01 / 2024–119(ई०) दिनांक–29.02.2024 द्वारा कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी से निष्कासित करते हुए इसके एवज में रोहतास जिला के रोहतास वन प्रमंडल अंतर्गत 3000.00 हे० गैर आश्रयणी सुरक्षित वन क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–18(1) के तहत वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किया गया है।

उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में उल्लेखित वन क्षेत्रों, जिन्हें वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किया गया है, को उक्त अधिनियम की धारा–26(A) के तहत अंतिम रूप से आश्रयणी घोषित किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा–19 से 25 में वर्णित कार्यवाही समाहर्त्ता द्वारा पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वां यथा संशोधित 2002) की धारा–18(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को उक्त अधिनियम की धारा–19 से 25 के अधीन वांछित कार्यों / दावों / अधिकारों के निपटारे आदि के लिए समाहर्त्ता के रूप में नियुक्त करती है।

2. प्रस्ताव पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–01 / 2024................... / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक............

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी०) एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर इसकी प्रतियाँ विभाग को प्रेषित की जाय।

ह० / –

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक-- वन्यप्राणी–01 / 2024................. / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...........

प्रतिलिपिः–सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी, रोहतास / पुलिस अधीक्षक, रोहतास / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–01 / 2024................. / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...........

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–01 / 2024 30 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 01/01/2025

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोडल किया जाय।

01/01/25

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

S@Man.ADHISUCHNA-8